

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-1, में प्रकाशनार्थ
 भारत सरकार
 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
 वाणिज्य विभाग
 विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 5 (आर ई - 2012) /2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2012

विषय:- खाद्य उत्पाद समूह के तहत सिओन ड. 125 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, खाद्य उत्पाद समूह के तहत सिओन ड.-125 की क्रम सं0 2 पर स्थित आयात मद के विवरण “टांसिल ब्लीचिंग अर्थ” को “एक्टिवेटेड ब्लीचिंग अर्थ” के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित करते हैं।

आयात मद के विवरण या अनुमेय मात्रा अथवा निर्यात मद के विवरण या मात्रा में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है। संशोधित सिओन निम्नानुसार होगा:-

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ड. 125	शीआ स्टेराइन	1 मी.टन	1. शीआ नट्स (तेल अंश 45+/-1%) अथवा शीआ बटर 2. एक्टिवेटेड ब्लीचिंग अर्थ 3. एसीटोन	5.20 मी.टन** 2.295 मी.टन 0.05 मी.टन 0.04 मी.टन

**शीआ नट में 46% से अधिक तेल अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु, इसके आयात के लिए अनुमत मात्रा यथानुपात आधार पर 150 किग्रा. तक घट सकती है और शीआ नट में 44% से कम तेल अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत कमी हेतु, इसके आयात के लिए अनुमत मात्रा यथानुपात आधार पर 150 किग्रा. तक बढ़ सकती है।

“टिप्पणी:- आयात मदों की मद संख्या-1 अर्थात शीआ नट, हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी प्रत्येक आगम बिल के लिए नमूने ले सकते हैं और इसके तेल अंश की जाँच कर सकते हैं। सीमाशुल्क प्राधिकारी प्रत्येक खेप के तेल अंश के आग्राम बिल को पृष्ठांकित करेगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित तेल अंश के भार औसत पर आधारित प्राधिकार पत्र को क्षेत्रीय प्राधिकारी निष्क्रित करेगा। तथापि, आयात खेप की निकासी को परिणाम प्राप्त होने तक रोका न जाए, लेकिन सीमाशुल्क परीक्षण और नमूने लेने के बाद अनुमत किया जाए।”

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव

निर्यात मद “शीआ स्टेराइन” के लिए, सिअॉन ड.-125 में आने वाले “टांसिल ब्लीचिंग अर्थ” शब्द को “एक्टिवेटेड ब्लीचिंग अर्थ” से प्रतिस्थापित किया गया है क्योंकि टांसिल कंपनी का ब्राण्ड नाम है। कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

ह0/-
(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फारसं0 01/85/162/349/ए एम 06/डीईएस-6 से जारी)